रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935
No. 146] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

सा.का.नि. 200(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 366(अ) दिनांक 7 जून, 2013 और भारत सरकार की पूर्वोक्त अधिसूचना सं. सा. का.नि. 463(अ) दिनांक 4 जुलाई, 2013 के अनुवर्ती शुद्धि-पत्र के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल -अध्यक्ष

(ख) माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील गौड़ -सदस्य

(ग) माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी. मित्तल -सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2014 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 674/1/2005-सी.शु.-VIII]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी.—यह अधिसूचना सं. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 7 जून, 2013, और अनुवर्ती शुद्धि-पत्र सं. सा. का. नि. 463(अ), दिनांक 4 जुलाई 2013 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), में क्रमश: दिनांक 11 जून, और 5 जुलाई, 2013 को प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2014

G. S. R. 200(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G. S. R. No. 366(E), dated 7th June, 2013 and subsequent Corrigendum to the aforesaid Notification of the Government of India No. G.S.R. 463(E), dated 4th July, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :-

(a) Hon'ble Mr. Justice Siddharth Mridul—Chairman

(b) Hon'ble Mr. Justice Sunil Gaur—Member

(c) Hon'ble Mr. Justice G.P. Mittal—Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2014.

[F. No. 674/1/2005-Cus.VIII]

M. L. SHARMA, Under Secy.

Footnote : The Notification G. S. R. No. 366(E), dated 7th June, 2013 and subsequent Corrigendum No. G.S.R. 463(E), dated 4th July, 2013 were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) on the 11th June and 5th July, 2013 respectively.

1302 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.